न्यूज ब्रीफ

पारिवारिक विवाद के चलते ननद-नंदोई से मारपीट

इंदौर। पारिवारिक विवाद और लेनदेन के चलते भाई-भाभी ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट की। अरिहंत नगर निवासी गौरी पति मुकेश पंवार ने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अपने भाई प्रीतम से बैंक में रखे जेवरात लाने को कहा था। इस पर प्रीतम ने जेवर लौटाने से साफ इनकार कर दिया। जब गौरी ने याद दिलाया कि उन्होंने मकान बनवाने में आर्थिक मदद की थी तो इसी बात से नाराज होकर प्रीतम और भाभी तन्नू गाली-गलौज करने लगे। पीड़िता और उसके पति मुकेश ने जब गाली देने से मना किया तो आरोपी प्रीतम ने मारपीट शुरू कर दी।

मामूली बात पर नुकीली चीज से गर्दन पर किया वार

इंदौर। मामूली-सी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी ने घर में घुसकर पति-पत्नी से मारपीट कर नुकीली चीज से गर्दन पर हमला कर दिया। लसूड़िया पुलिस को स्कीम नंबर 78 निवासी लुर्दिनो पॉल पिता विन्सेंट पॉल ने बताया कि उनके पड़ोसी शुभम् ने अचानक आकर उनके घर के दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। जब मैंने इसका कारण पूछा तो आरोपी भड़क गया और उन्हें व उनकी पत्नी ट्रेजा को गालियां देने लगा। जब विरोध किया तो आरोपी ने ट्रेजा को धक्का देकर गिरा दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे लुर्दिनो के साथ आरोपी ने लात-घूंसों से मारपीट की।

शराब तस्करी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इंदौर। आयशर वाहन से 30 लाख की शराब डिलीवरी मामले में फरार चल रहे आरोपी को क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है। उसके दो साथी पूर्व में पकड़े जा चुके हैं। दोनों आरोपियों से पुलिस ने 780 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की थी। मामले में पुलिस ने फरार आरोपी दिलप्रीत सिंह उर्फ हनी को पकड़ा है। वह वाइन शॉप पर काम करता है। आरोपी पर भंवरकुआ थाने में तीन तथा तुकोगंज थाने में एक केस दर्ज है, जबकि तस्करी मामले में पुलिस ने राऊ-पीथमपुर रोड पर नाकाबंदी कर आयशर वाहन को रोककर चेकिंग की गई थी, जिसमें से अवैध शराब जब्त कर मौके से चालक बीरम चौहान निवासी बेटमा और क्लीनर विशाल ठाकुर निवासी सिमरोल को गिरफ्तार किया था।

151 सिम का हुआ खुलासा

फर्जी सिम से जींस-पैंट की फ्रेंचाइजी का झांसा देकर ठगी, प्रकरण दर्ज

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

ठगी में इस्तेमाल फर्जी सिम के नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। ऑपरेशन फास्ट-2.0 के तहत एमआईजी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि सिम को एक युवक से दूसरे युवक तक पहुंचाने वाले तीन अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांच में सामने आया कि आर्थिक लाभ के लालच में सिम को कई हाथों में सौंपा गया। आखिरकार उसका इस्तेमाल लोगों से ऑनलाइन ठगी करने में किया गया। पुलिस को गृह मंत्रालय के अधीन एक क्षेत्र में संदिग्ध सिम कार्ड और उनके विक्रेताओं से जुड़ा डेटा मिला था। जानकारी के अनुसार... शहर में 49 संदिग्ध पीओएस धारकों या सिम एजेंटों से जुड़ी 151 सिम का इस्तेमाल देश के अलग-अलग हिस्सों में दर्ज 212 वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों में पाया गया था। इसी जानकारी की तस्दीक के दौरान एमआईजी पुलिस को मामले की कड़ियां

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

मिलीं। जांच में सिम विक्रेता रोहित पिता ओमप्रकाश दलवे निवासी स्वर्णबाग कॉलोनी से पूछताछ की गई। उसने बताया कि संबंधित मोबाइल नंबर की सिम 15 मार्च को निर्धारित प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद राजेश चौधरी सुडेलकर के नाम पर जारी की गई थी। इसके बाद पुलिस ने सिम धारक राजेश चौधरी से पूछताछ की। उसने बताया कि उसने अपने आधार कार्ड से सिम अपने नाम पर ली थी, लेकिन बाद में आर्थिक फायदे के लिए इसे भगवानदास उर्फ नाना को 200 रुपए में दे दिया। भगवानदास ने भी सिम को आगे हिमांशु जूनवाल को करीब 500 रुपए लेकर सौंप दिया। जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि हिमांशु ने यह सिम आशीष शर्मा को दी थी। इसके बाद राजेश चौधरी के नाम से जारी सिम का इस्तेमाल ठगी के लिए किया गया। इस तरह पुलिस ने सिम के मूल धारक से लेकर उसके कथित साइबर अपराध में इस्तेमाल होने तक की पूरी कड़ी का पता लगाया।

सस्ते कपड़ों और फ्रेंचाइजी का देते थे लालच

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मोबाइल पर लोगों से संपर्क कर उन्हें थोक में कम कीमत पर जींस-पैंट उपलब्ध कराने का झांसा देते थे। इसके अलावा कपड़ों के थोक कारोबार की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर भी रकम वसूली जाती थी। पैसे लेने के बाद ग्राहकों को न तो माल दिया जाता था और न ही फ्रेंचाइजी। इसी तरीके से उत्तरप्रदेश के खीरी जिले के एक व्यक्ति से संपर्क कर उसे जींस-पैंट के थोक कारोबार की फ्रेंचाइजी 30 हजार रुपए में देने का लालच दिया गया। आरोपियों ने फ्रेंचाइजी के नाम पर उससे 10 हजार रुपए ले लिए और बाद में धोखाधड़ी कर दी। पीड़ित ने 27 मई को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। जांच और एनसीआरपी पर दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 318(4), 316(2), 319(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(सी) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने राजेश चौधरी सुडेलकर (42) निवासी कुलकर्णी का भट्टा को गिरफ्तार किया है। उससे साइबर ठगी और सिम के इस्तेमाल से जुड़े अन्य पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। मामले में भगवानदास उर्फ नाना जूनवाल, हिमांशु उर्फ रोहित जूनवाल और आशीष शर्मा की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान साइबर ठगी से जुड़े अन्य लोगों और लेनदेन के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

झांसे में लेकर किया दुष्कर्म, 24 घंटे में पकड़ाया आरोपी

इंदौर। महिला संबंधी अपराध को लेकर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में छोटी ग्वालटोली पुलिस ने झांसे में लेकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी। सहायक पुलिस आयुक्त नीति दंडोतिया के मुताबिक... 31 अगस्त को महू निवासी पीड़िता ने थाने में शिकायत की थी। इसमें बताया कि उसकी दोस्ती धार जिले में रहने वाले अमित नामक युवक से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई। इसी दौरान आरोपी ने मुझे मिलने के लिए इंदौर बुलाया। उसके कहने पर मैं सरवटे बस स्टैंड पर मिली। यहां कुछ देर होटल में ठहरे। बातचीत के दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। जब मैंने शादी करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 69 में केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद आरोपी को पकड़ने कार्ययोजना बनाकर टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धार जिले से गिरफ्तार कर लिया।

बुलेट का साइलेंसर बदला, नंबर प्लेट भी मिली गायब

ट्रैफिक पुलिस ने किया 4800 रुपए का चालान

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

यातायात नियमों का पालन कराने और चौराहों पर व्यवस्था सुधारने पुलिस ने गीता भवन चौराहे पर अभियान चलाया। इस दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट समेत बिना नंबर की थार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने ड्रोन के जरिए चौराहे की निगरानी कर नियम तोड़ने वालों के चालान भी बनाए। अभियान सहायक पुलिस आयुक्त हिंदूसिंह मुवेल की मौजूदगी में चलाया गया। पलासिया चौराहे की ओर से मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट आने की सूचना टीम को मिली। पुलिस ने गीता भवन चौराहे पर वाहन को रोककर जांच की तो एक साथ कई नियमों का उल्लंघन सामने आया। चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वह बिना हेलमेट वाहन चला रहा था। बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा था। इसके अलावा आगे नंबर प्लेट नहीं थी, जबकि पीछे नंबर प्लेट पर भी नंबर निर्धारित तरीके से अंकित नहीं था। इन उल्लंघनों के चलते पुलिस ने बुलेट जब्त कर 4,800 रुपए का चालान बनाया। पुलिस ने थार वाहन को भी रोका। जांच में सामने आया कि वाहन के आगे नंबर प्लेट नहीं लगी थी और शीशों पर गहरे काले रंग की फिल्म चढ़ी हुई थी। पुलिस ने मौके पर ही ब्लैक फिल्म हटवाई और चालक पर कार्रवाई कर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया।

गीता भवन चौराहे पर पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से ऊपर से निगरानी रखी। इस दौरान रेड लाइट, स्टॉप लाइन और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चिह्नित किया गया। ड्रोन से मिले फोटो और फुटेज के आधार पर संबंधित वाहनों के चालान जनरेट किए गए।

बड़ा सराफा की फातिमा ज्वेलर्स में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने दो टैंकर पानी से पाया काबू

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

बड़ा सराफा स्थित अंकलीकर प्लाजा (जौहरी मार्केट) की ज्वेलरी दुकान में मंगलवार देर रात आग लगने से बाजार में अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय क्षेत्र में चौपाटी लगी होने से लोगों की आवाजाही जारी थी। दुकान से धुआं निकलता देख लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब दो टैंकर पानी की मदद से आग पर काबू पाया।

जानकारी के मुताबिक... आग अंकलीकर प्लाजा के अपर ग्राउंड पर स्थित फातिमा ज्वेलर्स में करीब 12.30 बजे लगी। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्टसर्किट बताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। आग पर काबू पाने के बाद दुकान संचालक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझते ही दुकान में रखे आभूषणों को सुरक्षित बाहर निकलवाया। हालांकि आग की चपेट में आने से दुकान का फर्नीचर और अन्य सामान जलकर खराब हो गया। कुछ आभूषणों को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद सुरक्षा के लिहाज से सर्राफा पुलिस ने तत्काल चौपाटी को बंद करवा दिया। पुलिस और दमकल की टीम ने आसपास के क्षेत्र में भी स्थिति का जायजा लिया।

सवा करोड़ की जमीन ठगी का फरार आरोपी गुजरात से अरेस्ट

दो साल से ठिकाने बदलकर दे रहा था झांसा

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

जमीन दिलाने के नाम पर एक करोड़ 38 लाख रु. से अधिक की ठगी कर दो साल से फरार चल रहे आरोपी को विजयनगर पुलिस ने गुजरात के किशनगंज थाना क्षेत्र से पकड़ा। कानूनी कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार... विजयनगर थाने में आरोपी राजेश पिता चम्पालाल जैन पर धारा 409, 406 और 420 के तहत प्रकरण दर्ज था। आरोपी मूल रूप बांसवाड़ा का रहने वाला है और फिलहाल अहमदाबाद स्थित अर्जुन अपार्टमेंट में रह रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने बांसवाड़ा में जमीन दिलाने का भरोसा दिलाकर फरियादी से ब्रोकर के माध्यम से 1,38,13,750 की राशि प्राप्त की थी। आरोप है कि जमीन उपलब्ध कराने के बजाय आरोपी ने रकम का गबन कर लिया।

टैक्सी में छूटे दो महंगे मोबाइल आधे घंटे में किए बरामद

इंदौर। एयरपोर्ट पर कोलकाता जाने वाली फ्लाइट पकड़ने पहुंची महिला के टैक्सी में छूटे का डेढ़ लाख रुपए के दो मोबाइल पुलिस ने आधे घंटे में बरामद कर लिए। फ्लाइट रवाना होने से पहले दोनों मोबाइल महिला को सुरक्षित लौटा दिए। घटना एक सितंबर की शाम 7 बजे एयरपोर्ट की है। ड्यूटी पर तैनात यातायात सहायक उपनिरीक्षक ओमसत्य यादव और एरोड्रम थाने के आरक्षक प्रताप सिंह कौरव को महिला यात्री ने उक्त जानकारी दी थी।

लिफ्ट में छूटा 8 लाख रुपए से भरा बैग आरोपी ने उड़ाया

कार्रवाई: राऊ पुलिस ने पूरी रकम बरामद की

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

राऊ थाना पुलिस ने लिफ्ट में छूटे 8 लाख रुपए से भरे बैग को चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की पूरी रकम नकद बरामद कर ली है।

पुलिस के मुताबिक... फरियादी बैंक से लोन के रूप में 8 लाख रुपए लेकर अपने ट्रेजर फैंटेसी स्थित घर पहुंचे थे। लिफ्ट से बाहर निकलते समय उन्होंने रुपयों से भरा बैग लिफ्ट के फर्श पर रख दिया था। जल्दबाजी में वे बैग को वहीं भूलकर अपने घर चले गए। कुछ देर बाद जब उन्हें बैग याद आया तो वे वापस लिफ्ट के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बैग गायब हो चुका था। फरियादी ने मामले की सूचना राऊ पुलिस को दी। पुलिस ने धारा 303(2) में प्रकरण दर्ज कर जांच

शुरू की। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली। फुटेज के आधार पर पुलिस को संदिग्ध की पहचान करने में सफलता मिली। इसके बाद टीम ने उसकी तलाश शुरू की और रेती मंडी रेलवे ब्रिज के पास एक युवक को नीले रंग के बैग के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने लिफ्ट से रुपयों से भरा बैग उठाने की बात कबूल कर ली।

पत्नी पर चाकू से हमला

इंदौर। शराबी पति ने विवाद के चलते पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। ऋषि पैलेस निवासी नेहा बैरागी ने द्वारकापुरी पुलिस को बताया कि पति सावन आए दिन मारपीट करता था। प्रताड़ना से तंग आकर वह 3-4 महीनों से मायके में रह रही थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी मेरे मायके के बाहर पहुंचा और चाकू से वार किए।

उठावना (तीसरे का) कार्यक्रम

अत्यंत दु:ख के साथ सूचित करने में आता है कि
स्व. श्री अंबाराम जी चावला की धर्मपत्नी

श्रीमती मांगीबाई चावला

कोमल चावला (आलोट) अनोखीलाल चावला (बदनावर)
सुंदरलाल चावला (बड़नगर) की माताजी
छोटेलाल जी चावला की काकी जी
आनंद, मनोज, प्रवीण, गोपाल, पवन, सचिन,
रोहित, संजय, दीपेश, लाखन, राहुल की दादी जी
सिद्धार्थ, मानस, आशु, कबीर, ध्रुव,
तनिष, मोक्ष एवं पर्व की परदादी
का आज 1 सितम्बर 2026, मंगलवार को स्वर्गवास हो गया है।

उठावना (तीसरे का) कार्यक्रम

दिनांक 3 सितम्बर 2026, गुरुवार को सुबह 9.30 बजे
श्रद्धांजलि सभा सुबह 11.00 बजे से
स्थान: निज निवास - नागेश्वर धाम, बड़नगर

शोकाकुल
मनोज चावला पूर्व विधायक (आलोट),
प्रवीण चावला (प्रदेश प्रभारी निति एवं शोध भाजपा अ.जा)
एवं समस्त चावला परिवार

MP POORV KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.

BLOCK NO.7, SHAKTI BHAWAN, RAMPUR, JABALPUR (M.P.)
Tel No:0761 2702473, Fax No.0761-2660048 CIN: U40109MP2002SGC015120, e-mail: cepurez@yahoo.in

1912

No. CGM/S&P/EZ/GM-I/II/418 **TENDER NOTICE** Jabalpur, dtd:- 20.05.2026

Online tenders are invited for supply of following item from manufacturers only as per tender specifications- The Bids will be received online on the portal https://mptenders.gov.in up to date & time as per key dates. The tender will be opened in the office of undersigned as mentioned in tender time schedule (key dates) in presence of bidders duly authorized representative who may like to be present at the time of opening of tender :

Sr. No.	T.S. No. (For e-Tendering) DISCOM/EZ/PUR	NAME OF ITEMS	APPROX.VALUE (Rs. in Lakhs)	TENDER FEE (in Rs.)	Due date & times of Opening of Tender (*)
1	1749 (E-Tender No. 2026_PKVVC_533169_1)	AAA Rabbit & Dog Conductor	908.77	11,800.00	23.09.2026

*For updated / extended due dates for opening of tender (EMD in Cover -1 & Techno-commercial bid in Cover-2) please refer to the online key dates.

SAVE ENERGY FOR BETTER TOMORROW ''बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए 1912 डायल करें'' C.G.M. (S&P)

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L15311MP2009PLC021746
पंजीकृत कार्यालय: खसरा नं. 378/2, नेमावर रोड, मकरंद हाउस के पास, पालदा, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत – 452020 | **दूरभाष:** +0731-2437679 | **वेबसाइट:** www.yellowdiamond.in
ई-मेल: complianceofficer@yellowdiamond.in

17वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **प्रताप स्नैक्स लिमिटेड ('कंपनी')** की **17वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम/बैठक') गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को अपराह्न 3:30 बजे (भारतीय मानक समय)** वीडियो कॉन्फ्रेंस ('VC')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ('OAVM') के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना ('सूचना') में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('MCA') के सामान्य परिपत्र क्रमांक 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्रों, जिनमें नवीनतम परिपत्र क्रमांक 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 शामिल है (सामूहिक रूप से 'MCA परिपत्र'), के साथ पठित, यह सूचना जारी की जा रही है।

उपरोक्त MCA परिपत्रों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('SEBI') के मास्टर परिपत्र क्रमांक SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 दिनांक 11 नवंबर, 2024 एवं परिपत्र क्रमांक SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 (सामूहिक रूप से 'SEBI परिपत्र') के अनुपालन में, कंपनी ने बुधवार, 2 सितंबर, 2026 को 17वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('NSDL') एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('CDSL') (सामूहिक रूप से 'डिपॉजिटरीज/DPs') तथा रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट ('रजिस्ट्रार/RTA') के पास पंजीकृत हैं।

एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://www.yellowdiamond.in/wp-content/uploads/2026/08/Annual-Report-2025-26.pdf

यह सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट CDSL की वेबसाइट www.evotingindia.com तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, अर्थात् BSE लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE)।

सदस्य केवल VC/OAVM सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होकर भाग ले सकेंगे तथा उनकी उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम निर्धारित करने के उद्देश्य से गणना में शामिल किया जाएगा। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

जो सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपना **फोलियो नंबर / DP ID एवं क्लाइंट ID** अंकित करते हुए complianceofficer@yellowdiamond.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। ऐसे सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

एजीएम से पूर्व एवं एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग संबंधी निर्देश

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 (यथासंशोधित), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों के लिए सचिवीय मानक तथा SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 44 (यथासंशोधित) एवं MCA परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी एजीएम में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस उद्देश्य से कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु CDSL को नियुक्त किया है।

तदनुसार, एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध होगी, जिनके नाम **शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026** की कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि निम्नानुसार होगी:

विवरण	दिनांक एवं समय
रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ	सोमवार, 21 सितंबर, 2026 को प्रात: 9:00 बजे (IST) से
रिमोट ई-वोटिंग समाप्त	बुधवार, 23 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे (IST) तक

उक्त अवधि के पश्चात CDSL द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एजीएम के दौरान भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य, जिन्होंने एजीएम से पूर्व अपना मत नहीं दिया है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत दे सकेंगे। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मत दिए जाने के पश्चात उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के मतदान अधिकार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किसी प्रस्ताव/प्रस्तावों पर अपना मत दे दिया है, वे VC/OAVM के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में पुनः उक्त प्रस्ताव/प्रस्तावों पर मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले तथा जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराया है, वे अपना नाम, फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी तथा स्व-प्रमाणित PAN कार्ड की प्रति ई-मेल द्वारा कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट KFin Technologies Limited को einward.ris@kfintech.com पर भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करा सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित DP के माध्यम से अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। ई-मेल पते के पंजीकरण की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने M/s. Ritesh Gupta & Co. को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच करने हेतु **स्क्रूटिनाइज़र** नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन से **दो कार्य दिवसों के भीतर** घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम, स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.yellowdiamond.in तथा CDSL की वेबसाइट www.evotingindia.com पर परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद उपलब्ध कराए जाएंगे और कंपनी के सूचीबद्ध शेयरों से संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् BSE लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी सूचित किए जाएंगे।

लाभांश एवं रिकॉर्ड तिथि

निदेशक मंडल ने अपनी बैठक **दिनांक 27 अप्रैल, 2026** में वित्तीय वर्ष **31 मार्च, 2026** को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹5 अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.50 (10%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

यदि उक्त लाभांश एजीएम में घोषित किया जाता है, तो लागू **स्रोत पर कर कटौती (TDS)** के अधीन इसका भुगतान **22 अक्टूबर, 2026** को या उससे पूर्व किया जाएगा।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने के लिए उक्त लाभांश प्राप्त करने के हकदार सदस्यों का निर्धारण करने हेतु **शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026** को 'रिकॉर्ड तिथि' निर्धारित किया है।

लाभांश पर कर

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, लाभांश से प्राप्त आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है तथा कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 ('आयकर अधिनियम') में निर्धारित दरों पर लाभांश भुगतान से TDS काटने के लिए बाध्य है।

TDS संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु सदस्यों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम के अनुसार अपना **निवासीय दर्जा (Residential Status), स्थायी खाता संख्या (PAN) एवं श्रेणी (Category)** अपने संबंधित DP के पास या, यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं, तो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके कंपनी के पास **शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026** तक अद्यतन/पूरा करें, ताकि कंपनी लागू TDS/कर कटौती दर निर्धारित कर सके, दस्तावेजों का सत्यापन कर सके तथा जहां लागू हो, कर छूट प्रदान कर सके।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि SEBI ने अपने परिपत्र क्रमांक SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 तथा बाद में जारी संशोधित परिपत्रों के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि **1 अप्रैल, 2024 से भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले प्रतिभूति धारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।**

ऐसा भुगतान PAN, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण जिसमें मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण एवं नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध कराने के बाद ही किया जाएगा।

जिन सदस्यों ने लाभांश प्राप्त करने हेतु अपना बैंक खाता विवरण/मैंडेट अद्यतन नहीं किया है, वे निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

डीमैट रूप में शेयरधारण:
अपने संबंधित DP द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में बैंक विवरण पंजीकृत/अद्यतन करें।

भौतिक रूप में शेयरधारण:
बैंक खाता पंजीकरण हेतु हस्ताक्षरित Form ISR-1 की स्कैन की हुई प्रति के साथ रद्द किया हुआ चेक/पासबुक/बैंक स्टेटमेंट ई-मेल द्वारा einward.ris@kfintech.com पर भेजें।

Form ISR-1 कंपनी की वेबसाइट www.yellowdiamond.in तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट KFin Technologies – ISR Forms पर उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि संबंधित DPs द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण को लागू नियमों के अनुसार लाभांश के भुगतान के लिए मान्य माना जाएगा। ऐसे सदस्यों द्वारा बैंक विवरण में परिवर्तन/जोड़/हटाने के संबंध में कंपनी को सीधे किए गए अनुरोधों पर कंपनी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होगी।

अत: इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे **शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026** तक अपने संबंधित DPs के पास अपना **इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट** अद्यतन कराना सुनिश्चित करें।

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड के लिए
sd/-
संजय चौरे
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: इंदौर, मध्य प्रदेश
दिनांक: 2 सितंबर, 2026